



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

क्रमांक २४४० - I - १५

राकेश तनय जगदीश कुमारी

ग्राम नदया तह राजनगर जिला छतरपुर

.....निगरानीकर्ता

B.O.R.

29 JUN 2015

विरुद्ध

म.प्र.शासन

.....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर छतरपुर के आदेश दिनांक 19/03/15 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रही है :-

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा नदया तह राजनगर जिब्बा छतरपुर स्थित भूमि खसरा क्र 961 रकवा 2 हेक्टेयर भूमि पर निगरानीकर्ता का 2/10/1984 के पूर्व से कब्जा होने के कारण दखलरहित अधिनियम के अंतर्गत निगरानीकर्ता द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर दिनांक 10/7/2001 को तहसीलदार राजनगर द्वारा व्यवस्थापन आदेश पारित किया गया जिसे अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा काफी लंबी अवधि पश्चात् स्वप्रेरणा निगरानी में पंजीबद्ध कर निरस्त कर दिया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।
2. यह कि, अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत रूप से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।
3. यह कि, अपर कलेक्टर छतरपुर को इस बात को मानना चाहिए था कि तहसीलदार राजनगर द्वारा विधिवत् सुनवाई करते हुए इश्तहार प्रकाशन कर पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रकरण में आए दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर अपना विधि सम्मत् आदेश पारित किया था जिसमें कानूनन किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी परंतु अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा मनमाने तौर पर बिना किसी युक्तियुक्त आधार के अपना विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि निरस्त किए जाने योग्य है।

F. No.

J. M. S.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-गवालियर

अनुबृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. निग. 2440 11/15 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.11.15	<p>1— आवेदक के अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पेनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्षों अधिवक्तागणों के तर्क सुने।</p> <p>2— मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी श्रीमान अपर कलेक्टर जिला छतरपुर म०प्र० के प्रकरण क्रमांक 129 / अ-19(4) / स्व.निग. / 2005-06 मे पारित आदेश दिनांक 19/03/2015 के विरुद्ध म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के तहत प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>3— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि विवादित भूमि का पट्टा दखल रहित अधिनियम 1984 के तहत ग्राम नंदया की भूमि सर्वे नं०961/2 रकवा 2.000 हेठो भूमि स्वामी अधिकार के तहत प्रदान किया गया था। म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किया जाना(विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गम भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किए जाने का अधिकार प्रदान किया गया है। आवेदक का कब्जा लगभग 30 वर्षों से चला आ रहा है। खसरा की नकल में आवेदक का कब्जा दर्ज होने के आधार पर तहसीलदार राजनगर द्वारा प्र. क. 18 / अ-19(4) / 2000-01 आदेश दिनांक 10/07/2001 को आवेदक के नाम भूमि स्वामी अधिकार प्रदान करते हुए विधिवत् आदेश पारित किया था। जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी सूक्ष्म जॉच एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना न्यायालय अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा स्वमेव निगरानी के तहत विवादित आदेश पारित करते हुए भूमि शासन के नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिये गये हैं। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।</p> <p>4— आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि लगभग 15-20 वर्ष पूर्व किये गये व्यवस्थापन को शून्य किये जाने बावत् स्वप्रेरणा निगरानी की कार्यवाही की गई है जबकि पट्टेदार द्वारा विवादित भूमि पर श्रम, धन खर्च कर भूमि को उन्नत बनाया गया है जैसा कि राजस्व निर्णय 1999 पेज 363</p>	<p>पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर</p> <p><i>(Signature)</i></p>

स्थान तथा दिनांक


कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अधिभावक
आदि के हस्ताक्षर

मोहन तथा अन्य विरुद्ध म.प्र. राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इन्डिया एस.एस.सी.-44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। माननीय उच्च न्याया, न्यायाधीश एस.के. गंगेले ने इसी वर्ष 2013 में प्रकरण आनुधिक ग्रह निर्माण सहकारी समिति मार्या. वि. म.प्र. राज्य तथा एक अन्य रे.नि. 2013 पृष्ठ 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता का उल्लेख किया है अतएव उन्होंने आवेदक को किया गया व्यवस्थापन आदेश स्थिर रखते हुए अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है।

5— उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेज तथा न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक को 02/10/1984 में कब्जा न होने के आधार पर स्वयं निगरानी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है। प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन वर्ष 2001 में किया गया है। एवं प्रस्तावित कार्यवाही वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई है। ऐसी स्थिति में प्रचलित कार्यवाही विधि सम्मत नहीं पाता है। अतएव प्रस्तुत तर्कों एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश स्थिर रखे जाना नहीं पाता है।

6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19/03/2015 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10/07/2001 स्थिर रखा जाता है परिणामतः राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम पूर्वतः दर्ज रखते हुए यह निगरानी स्वीकार की जाती है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।



सदाशीव

८१